जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 307 वीं बैठक दिनांक 20.10.2021 को प्रातः 10:30 बजे ''मंथन कक्ष'' में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया:–

1. श्री हृदेश कुमार शर्मा, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री आनंदी लाल वैष्णव, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमति विनीता सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन/पूर्व/पुर्नवास), जविप्रा, जयपुर।
5. श्रीमति प्रीति गुप्ता, सदस्य सचिव, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:–

1. श्री गोपाल लाल सैनी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री बनवारी लाल, उपायुक्त जोन–2, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री शेरसिंह लुहाडिया, उपायुक्त जोन–8, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री विजेन्द्र कुमार मीणा, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री प्रवीण अग्रवाल, उपायुक्त जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री नवल किशोर, उपनिदेशक, जनसंपर्क, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री किशन खांडा, सहायक नगर नियोजक, जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
8. श्री रविन्द्र, सहायक नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी) जविप्रा, जयपुर।
9. अरबन प्लानर/वास्तुविद–जोन–08 जविप्रा, जयपुर।

<u>एजेण्डा संख्या:–1 (307/20.10.2021)</u>

विषय:–बीपीसी (एलपी) की 305वीं बैठक दिनांक 04.10.32021 एवं 306वीं बैठक दिनांक 06.10.2021 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के सबंध में।

बीपीसी (एलपी) की 305वीं बैठक दिनांक 04.10.32021 एवं 306वीं बैठक दिनांक 06.10.2021 के कार्यवाही विवरण अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

<u>एजेण्डा संख्या:–02 (307/20.10.2021) जोन–07</u>

विषय:– मैसर्स नार्विक निर्माण एण्ड फाईनेंस प्रा0 लि0 जरिये निदेशक विवेक जैन द्वारा राजस्व ग्राम केशोपुरा, तहसील– सांगानेर व जिला जयपुर के खसरा नं. 188 रकबा 0.37 हैक्टेयर उपलब्ध पजेशन 4302.88 वर्ग गज क्षेत्रफल में से आवेदित भूमि क्षेत्रफल 1671.27 वर्गगज (1397.39 वर्ग मीटर) भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ एकल पट्टा अनुमोदन बाबत्।

समिति का निर्णयः—

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत प्रश्नगत भूमि के पूर्व में किये गये भू—उपयोग परिवर्तन व धारा 90—बी की वैधता एवं मास्टर विकास योजना 2025 में प्रस्तावित भू—उपयोग के सबंध में पुनः परीक्षण कर समस्त तथ्यों सहित आगामी बैठक में प्रस्तुत करने बाबत् उपायुक्त जोन को निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्याः—03 (307/20.10.2021) जोन—09

विषयः— मैसर्स स्पैक्ट्रम कोलोनाईजर्स प्रा0 लि0 की जविप्रा द्वारा पूर्व में ग्राम झुंझारपुरा उर्फ मेंदला तह. सांगानेर के खसरा नम्बर 421/106, 417/102, 418/107, 103/402, 103, 104, 105 कुल किता 7 कुल क्षेत्रफल 19130.81 वर्ग गज भूमि पर जारी एकल भूखण्ड के स्थान सामान्य आवासीय योजना क्रिश विहार के मानचित्र अनुमोदन के सबंध में।

समिति का निर्णयः—

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ जोन के प्रस्ताव अनुसार आवासीय योजना **क्रिश विहार** का योजना मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः—

1. भवन मानचित्र समिति (ले—आउट प्लान) की 297वीं बैठक दिनांक 15.03.2021 में धारा 90ए/90बी के प्रकरणों में लिये गये नीतिगत निर्णय की पालना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10.08.2020 के अनुसार योजना में मोबाईल टावर एवं इन्फार्मल शॉप्स के प्रावधानों पूर्ति करते हुये आवेदक से संशोधित योजना मानचित्र प्राप्त किया जावे।
3. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के भूखण्डों की एवज में राशि ली जावे।
4. आवेदक से उपविभाजन शुल्क लिया जावे।
5. प्रकरण 1500 वर्ग गज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
6. योजना क्षेत्र मे सृजित भूखण्ड/भूखण्डों के पैरामीटर्स एवं सैट बैक्स नियमानुसार जयपुर भवन विनियम 2020 के अनुसार देय होगें।
7. प्रश्नगत योजना में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत कार्यवाही की जावे।
8. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क/पुर्नग्रहण आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः—04 (307/20.10.2021) जोन—11

विषयः—श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बेरीसाल एवं श्री रामशरण एवं अन्य द्वारा ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 140, 140/1085, 140/1, 1247/141 कुल किता 4 रकबा 1.5 हैक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना होमलैण्ड वात्सलय का योजना मानचित्र अनुमोदन करने बाबत्।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ जोन के प्रस्ताव अनुसार आवासीय योजना **होमलैण्ड वात्सलय** के योजना मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः–

1. योजना के पूर्वी भाग में प्रस्तावित 9.00 मीटर सडक हेतु प्रस्तुत समर्पणनामा के क्रम में 9.00 मीटर सडक में समर्पित भूमि जविप्रा के नाम दर्ज करवाने के पश्चात् ही मानचित्र जारी किया जावे।
2. योजना में गुजर रही 11के0वी0 एचटी लाईन से प्रभावित भूखण्डों की लीजडीड एचटी लाईन हटाने/शिफ्ट करने के पश्चात् जारी की जावे।
3. योजना का क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने के कारण आवेदक से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के एवज में राशि ली जावे।
4. योजना में टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
5. प्रस्तावित भूखण्ड पर पैरामीटर्स/सैटबैक जविप्रा भवन विनियम 2020 के अनुसार देय होगें।
6. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क/पुर्नग्रहण आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

एजेण्डा संख्याः–05 (307/20.10.2021) जोन–08

विषयः–ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 202, 203/577 पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रोविजन 3–सी के तहत निजी खातेदारी की आवासीय योजना "रवि किरण विहार" के अनुमोदन के सबंध में।

समिति का निर्णयः–

समिति द्वारा जोन प्रस्ताव एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श एवं आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री जनआवास योजना के प्रोविजन 3–सी हेतु प्रस्तुत किये गये औचित्य को व्यापक जनहित के अंतर्गत मान्य करते हुये निम्न अतिरिक्त शर्तों के साथ जोन के प्रस्ताव अनुसार मुख्यमंत्री जनआवास योजना के प्रोविजन 3–सी के तहत आवासीय योजना "**रवि किरण विहार**" के योजना मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गयाः–

1. प्रश्नगत योजना के साथ लगती हुई खसरा संख्या 203/581 (राजस्व रिकार्ड अनुसार गैरमुमकिन नाला दर्ज होकर जविप्रा के स्वामित्व की भूमि है) की भूमि को खुले के रूप में रखा जावे।
2. प्रश्नगत योजना के साथ लगती हुई खसरा संख्या 210 (जविप्रा के स्वामित्व की भूमि है) की भूमि को आवेदित भूमि के अनियमित साईज के भूखण्डों के साथ मिलाते हुये रेगूलर साईज के भूखण्ड सृजित करते हुये प्लानिंग का प्रस्ताव जोन द्वारा तैयार किया जावे।
3. योजना में इन्फार्मल शाप्स मुख्यमंत्री जन–आवास योजना के प्रोविजन 3–सी के प्रावधानों एवं उक्त दुकानों हेतु पर्याप्त पार्किंग की सुनिश्चितता की जावे।

4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रोविजन 3–सी के प्रावधानों अनुसार राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।
5. प्रस्तावित भूखण्ड पर पैरामीटर्स/सैटबैक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के प्रोविजन 3–सी के प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
6. आवेदक से प्रकरण से सबंधित समस्त लेय राशि यथा बी.एस.यू.पी./विकास शुल्क/पुर्नग्रहण आदि (जो भी लेय हो) की गणना जोन स्तर पर सुनिश्चित की जावे।

3/11/21
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान),
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांकः जविप्रा/स.स./बीपीसी (एल.पी.)/2021/डी–205 दिनांकः– 08/11/2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, एवं माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त पृथ्वीराज नगर/प्रशासन, जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त, एलपीसी/भूमि/पुर्नवास, जविप्रा, जयपुर।
8. अति. आयुक्त भूमि आवाप्ति, जविप्रा, जयपुर
9. वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन 1 से 14 एव पृथ्वीराज नगर उत्तर I/II/दक्षिण I/II, जविप्रा, जयपुर।
11. उपनिदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
12. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

3/11/21
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान),
जविप्रा, जयपुर।